पत्रांक : 1963/श्रा0/एम एस कैम्प/21
दिनांक : 25/10/2021

File No.81-7099/744/2020-07-,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या ओ0ए0 सं0–673/2018 In re: News item published in "The Hindu" authored by Shri Koshy titled "More river stretched are now critically polluted: CPCB में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.2021 को अपराह्न 5:00 बजे लोक भवन स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या ओ0ए0 संख्या– 673/2018 In re: News item published in "The Hindu" authored by Shri Koshy titled "More river stretched are now critically polluted: CPCB में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.2021 को अपराह्न 5:00 बजे लोक भवन स्थित सभाकक्ष में एक समीक्षा बैठक आहूत की गयी। जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1– श्री रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– श्री अनुराग यादव, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– श्री मुश्ताक अहमद, विशेष सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– श्री समीर, विशेष सचिव, वित्त वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– श्री महेन्द्र सिंह, विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– श्री राजेश कुमार पाण्डेय, एपीडी/विशेष सचिव, नमामि गंगे विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– श्री अमित प्रणव, संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
9– श्री भीष्म लाल वर्मा, उपायुक्त, राजस्व परिषद्, उ0प्र0।
10– श्री सुशील कुमार पटेल, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11– श्री विपिन जैन, ईडी, एसआरएम (अरबन)।
12– श्री गोपाल सिंह, सीई (डब्ल्यूआर), सिंचाई।
13– श्री अभय पाण्डेय, एएमसी, नगर निगम, लखनऊ।
14– श्री डी.के. चतुर्वेदी।

2– मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 का सुसंगत अंश निम्नवत् है–

"...........39. Our directions are summed up as follows:

(ii) Chief Secretaries of all States/UTs and PCBs/PCCs must work in mission mode for strict compliance of timelines for 28 Section 26 29 Section 28 121 commencing new projects, completing ongoing projects and adopting interim phyto/bio-remediation measures, failing which compensation in terms of earlier orders be deposited with the MoJS, to be utilised in the respective States as per action plan to be approved by the NRRM. Other steps in terms of action plans for abatement of pollution and rejuvenation of rivers, including preventing discharge or dumping of liquid and solid waste, maintaining eflow, protecting floodplains, using treated sewage for secondary purposes, developing biodiversity parks, protecting water bodies, regulating ground water extraction, water conservation, maintaining water quality etc. be taken effectively. The process of rejuvenation of rivers need not be confined to only 351 stretches but may be applicable to all small, medium and big polluted rivers, including those dried up.

MoM
CEO(I-4)/LO-I
21/10/2021
(अजय कुमार शर्मा)
सचिव

(iii) The Chief Secretaries of all States/UTs may personally monitor progress at least once every month and the NRRM every quarter....."

The applications are disposed of in above terms.

3– बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी:–

1– प्रदूषित नदी खण्डों के अंतर्गत चिन्हित शहरों से जनित घरेलू जलमल के शोधन की स्थिति – बैठक में अवगत कराया गया कि आंकलन के अनुसार कुल 12 प्रदूषित नदी खण्डों में कुल 5500 एम0एल0डी0 सीवेज जनरेशन हो रहा है। वर्तमान में निर्मित 109 एस0टी0पी0 जिनकी शोधन क्षमता 3471.84 एम0एल0डी0 है, के माध्यम से 2616.74 एम0एल0डी0 घरेलू जल–मल का शोधन किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 107 एस0टी0पी0 कार्यरत हैं तथा 02 एस0टी0पी0 कार्यरत नहीं हैं। माह अगस्त, 2021 तक एस0टी0पी0 की क्षमता का 75 प्रतिशत उपयोग बताया गया। अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि जुलाई, 2020 से जुलाई, 2021 के मध्य कुल 41 एस0टी0पी0 समय≤ पर अनुश्रवण में मानकों को प्राप्त नहीं करते पाये गये। बैठक में निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग/ कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा एस0टी0पी0 संचालन का गहन अनुश्रवण कर मानकों के अनुरूप संचालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

2– निर्माणाधीन एवं टेण्डरिंग प्रक्रियाओं के अंतर्गत निर्मित किये जाने वाले एस0टी0पी0 की अद्यतन स्थिति–संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में **36 एस0टी0पी0** जिनकी **क्षमता 839.05 एम0एल0डी0** है, निर्माणाधीन हैं तथा **559.60 एम0एल0डी0 क्षमता** के **23 एस0टी0पी0** टेण्डर की प्रक्रिया में हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि 36 निर्माणाधीन एस0टी0पी0 में से **08 एस0टी0पी0 ऐसे हैं** जिनका कार्य **90 से 98 प्रतिशत** पूर्ण हो चुका है तथा इनके निर्माण की तय समय – सीमा समाप्त हो चुकी है, को त्वरित गति से पूर्ण किया जाये तथा ऐसी परियोजनाओं को अक्टूबर, 2021 के अन्त तक पूर्ण करने के प्रयास किये जायें। इसके अतिरिक्त 23 एस0टी0पी0 के टेण्डरिंग के कार्य को गति प्रदान करते हुये शीघ्र कार्यवाही की जाये। निर्माणधीन एवं टेण्डरिंग की प्रकिया वाले एस0टी0पी0 को त्वरित गति से पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत कार्ययोजना एवं माइलस्टोन तय कर नियमित अनुश्रवण कर त्वरित गति से पूर्ण कराया जाय।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/वित्त विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

3– 30 सीवेज ट्रीटमेंट गैप :– संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, जल निगम द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कार्यरत, निर्माणाधीन एस0टी0पी0 एवं टेण्डरिंग प्रक्रिया के अधीन आने वाली परियोजनों को सम्मिलित करने के उपरान्त सीवेज जेनेरेशन का गैप **629.51 एम0एल0डी0** शेष रह जाता है। संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि 1.0 लाख से अधिक आबादी के AMRUT टाउन्स में फीकल एवं सेप्टेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट (FSTP) हेतु रु0 160.0 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है तथा झांसी एवं उन्नाव में FSTP का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 54 शहरों में निर्माणाधीन है। अपर मुख्य सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में एन0एम0सी0जी0 द्वारा नई परियोजनाओं हेतु वित्त पोषण नहीं किया जा रहा है। इस विषय पर उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया कि वित्त विभाग भी ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्त पोषण पर विचार करें। प्रश्नगत सीवेज ट्रीटमेंट गैप को पूर्ण किये

जाने हेतु कुल 60 परियोजनायें (26 डी0पी0आर0 एवं 34 वी0एफ0आर0) तैयार की गयी है, जिनकी कुल लागत रू0 5117 करोड़ तथा रू0 7667 करोड़ अर्थात कुल रू0 12784 करोड़ आंकलित है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सीवेज गैप को पूर्ण किये जाने हेतु फेज वार प्राथमिकता पर आधारित एक योजना तैयार कर ली जाय तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर धनराशि की व्यवस्था कराने हेतु कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/वित्त विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

4– प्रदूषित नदी खण्डों के अन्तर्गत चिन्हित नदियों में गिरने वाले समस्त नालों को टैप किया जाना एवं अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत बायोरेमिडेशन/फाइटो रेमिडेशन के द्वारा नालों से निस्तारित उत्प्रवाह का शुद्धिकरण:– बैठक में अवगत कराया गया कि प्रदूषित 14 नदी खण्डों के क्षेत्र में कुल 356 नाले चिन्हित हैं। इनमें 19 औद्योगिक नाले हैं, शेष 78 नालें पूर्णतयः टैप हैं, 24 नाले आंशिक रुप से टैप हैं तथा 235 नाले अनटैप्ड हैं। अनटैप्ड नालों में से गंगा/यमुना के 42 नालों को बायोरेमिडेशन की प्रक्रिया को नालों के शुद्धिकरण हेतु अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त कानपुर के 06 नालों को फाइटो रेमिडेशन प्रक्रिया द्वारा सीवेज का शोधन किया जाता है। सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार समय – सीमा समाप्त होने के कारण मार्च, 2021 के उपरान्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देय हो गयी है तथा गंगा नदी के कैचमेन्ट में आने वाले अनटैप्ड नाले एवं एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जा चुकी है। इस विषय पर बैठक में निर्णय लिया गया कि नालों की टैपिंग में गति लायी जाये तथा इसकी समय – सीमा का भी ध्यान रखा जाये। अंतरिम शोधन हेतु फाइटोरेमिडियेशन इत्यादि की कार्यवाही भी की जाय।

(कार्यवाही– नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/नगर विकास विभाग/एस0एम0सी0जी0/उ0प्र0 जल निगम)

5– प्रदेश में स्थित सी0ई0टी0पी0 की स्थिति:– बैठक में अवगत कराया गया कि प्रदेश में कुल 58.5 एम0एल0डी0 क्षमता के 07 सी0ई0टी0पी0 गाजियाबाद, उन्नाव, मथुरा एवं कानपुर में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त 04 नये सी0ई0टी0पी0 की स्थापना की जा रही है, जिनमें से 02 सी0ई0टी0पी0 मथुरा एवं कानपुर निर्माणाधीन है तथा इनके निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने की समय–सीमा दिसम्बर, 2021 है। जनपद उन्नाव में 4.5 एवं 2.15 एम0एल0डी0 के सी0ई0टी0पी0 टैनरी सेक्टर के उत्प्रवाह के शोधन के लिये पूर्व में स्थापित सी0ई0टी0पी0 के अतिरिक्त प्रस्तावित हैं, जिनका वित्त पोषण एन0एम0सी0जी0 द्वारा किया जायेगा। ये 02 सी0ई0टी0पी0 टेण्डर की प्रक्रिया में हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि निर्माणाधीन सी0ई0टी0पी0 के कार्यों को निर्धारित समय – सीमा में पूर्ण कराया जाय तथा टेण्डरिंग की प्रकिया संबंधी कार्य को शीघ्र पूर्ण कराकर निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ करायी जाये।

(कार्यवाही– एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

6– प्रदूषित नदी खण्डों में फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण:– बैठक में विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा (कन्नौज से उन्नाव), रामगंगा (मुरादाबाद से कन्नौज), घाघरा (बड़हलगंज से देवरिया), राप्ती (डोमिनगढ़ से राजघाट), सई (उन्नाव से जौनपुर) एवं सरयू (अयोध्या से इलाफतगंज) में फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण किया जा चुका है तथा शेष गंगा नदी में उन्नाव से वाराणसी एवं बेतवा में हमीरपुर से बागपुरा में एफ0पी0जेड0 का निर्धारण होना शेष रह गया है। फ्लड प्लेन जोन में अतिक्रमण के चिन्हांकन की कार्यवाही जिलास्तरीय समितियों द्वारा की जा रही है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग द्वारा शेष

बचे एफ0पी0जेड0 के निर्धारण में गति लायी जाये तथा इस कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाये। फ्लड प्लेन जोन के सीमांकन एवं अतिक्रमणों को चिन्हांकित करते हुए उन्हें नियमानुसार हटाये जाने हेतु तत्काल एक समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन/राजस्व/गृह विभाग, उ0प्र0 शासन)

7– **प्रदूषित नदी खण्डों में ई–फ्लो का मेन्टीनेन्स**:– सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि यमुना, गंगा, घाघरा, राप्ती एवं सरयू में ई–फ्लो घोषित किया जा चुका है तथा उसका मेन्टीनेन्स किया जा रहा है। गंगा नदी में उन्नाव से वाराणसी एवं बेतवा में हमीरपुर से बागपुरा तक ई–फ्लो निर्धारण का कार्य शेष बचा है। इसके अतिरिक्त काली ईस्ट, वरुणा, गोमती, हिण्डन एवं सई नदी नान पेरीनियल हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग द्वारा नदियों का ई–फ्लो मेन्टेन किया जाये जिससे कि जलगुणवत्ता प्रभावित न हो।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0)

4– बैठक के अंत में निम्न निर्देश दिये गये :–

1) आमी, राप्ती, सरयू एवं घाघरा नदियों में गिरने वाले नालों की टैपिंग से संबंधित सीवेज, नेटवर्क एवं एस0टी0पी0 की स्थापना से संबंधित परियोजनाएं, जो स्वीकृत हो चुकी हैं तथा जिनमें कार्य प्रारम्भ हो गया है उनमे कार्यों को त्वरित रूप से पूर्ण कराये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति तथा नगर विकास विभाग मासिक समीक्षा कर कार्यों को न्यूनतम अवधि में कार्ययोजना तैयार कर पूर्ण करायें।

2) जिन परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं हुई है उनकी प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति हेतु वित्त विभाग/एन0एम0सी0जी0 से सम्पर्क स्थापित कर अपेक्षित कार्यवाही की जाये।

3) सभी संबंधित विभागों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों में निहित अपने से संबंधित निर्देशों के अनुपालन की स्थिति, अनुपालन पूर्ण किये जाने हेतु औचित्यपूर्ण समय–सीमा सहित कार्ययोजना, अनुपालन में विलम्ब का कारण तथा कृत कार्यवाही की आख्या विलम्बतम दि0–31.10.2021 तक सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित कर उसकी प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन ईमेल–soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ईमेल–ms@uppcb.in, को प्रेषित की जाय।

4) मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्परता से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही – समस्त सम्बन्धित विभाग)

अन्त में मुख्य सचिव महोदय द्वारा सभी विभागों को समयबद्ध अनुपालन कराये जाने के निर्देश के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

Signed by मनोज सिंह
Date: 21-10-2021 11:07:12
Reason: Approved
(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–1-जन-3 64/81–7–2021–49(पर्या)/2017 टीoसीo
लखनऊ : दिनांक : 21 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/वित्त/सिंचाई एवं जल संसाधन/राजस्व/गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
4– श्री डी पी मथुरिया, कार्यकारी निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
5– मिशन निदेशक, एस0एम0सी0जी0, लखनऊ।
6– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(के0एल0 वर्मा)
संयुक्त सचिव।